संख्या एग्र•एव•(1)(पो•)15-/85
कृषि निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषक:

कृषि निदेशक,
हिमाचल प्रदेश ।

प्रेषित:

समस्त नियन्त्रग /कार्यालय अधिकारी,
कृषि विभाग-हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक:शिमला-5

विषय:- बायोगैस पर्यवेक्षक के पदो के भर्ती एवम् पदोन्नति के नियम ।

ज्ञापन:

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में बायोगैस पर्यवेक्षक के पदों के भर्ती एवं पदोन्नति के बनाए गए नियमों की प्रतिलिपि आपको सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजा जाती है ।

कृषि निदेशक,
हिमाचल प्रदेश ।

एसकुमार/

हिमाचल प्रदेश सरकार
कृषि विभाग

संख्या कृषि ए-3(2)/84   15नवम्बर तारीख शिमला-171002,

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध " अ" के अनुसार हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में बाय गैस पर्यवेक्षक (वर्ग-3अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ   1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग बाय गैस प्रयवेक्षक (वर्ग-3 अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 है।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा

आयुक्त एवं सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या यथाउक्त   15-11-86 तारीख शिमला-171002.

एक एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव/संयुक्त सचिव/उप-सचिव/अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

2. हिमाचल प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष।

3. निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5, को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 को उनके पत्र संख्या 1-91/71-पी.एस.सी. दिनांक 29 मार्च, 1986 के संदर्भ में।

(जारी पृष्ठ 2 पर)

5. उप नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

6. उप विधि परामर्शी, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

7. सम्बन्धित शाखा के लिए 50 अतिरिक्त प्रतियां।

हस्ता/-
(शंकर दास)
अवर सचिव (कृषि)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

"उपबन्ध "अ"

कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में बाय गैस पर्यवेक्षक (वर्ग-3 अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

xxxxxx

1.	पद का नाम:	बाय गैस पर्यवेक्षक।
2.	पदों की संख्या	60 (साठ)
3.	वर्गीकरण:	वर्ग-3 (कार्यकारी)(अराजपत्रित)
4.	वेतनमान:	570-15-600-20-700-25-850-30-1000-40-1000.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद:	अचयन।
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु:-	18 से 32 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकवय हो गया है, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा:

(जारी पृष्ठ 3 पर)

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/नियमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर/निगमों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर /निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर/निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में नियुक्त किए गए थे । किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर /निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं /किए गए थे ।

टिप्पण-1 — सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अन्तिम तारीख से की जाएगी।

टिप्पण-2 — अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम् शैक्षिक	अनिवार्य (1) व्यावसायिक कृषि स्कूल या ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र से एक वर्ष के कोर्स /प्रमाण पत्र / डिप्लोमा सहित

(जारी पृष्ठ 4 पर)

9. परिवीक्षा का अवधि यदि कोई हो,	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धती भर्ती की पद्धती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और ऐसी न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनकी प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा:	व्यावसायिक कृषि स्कूल या ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र से या 31-10-66 को पंजाब पुनर्गठन के समय, उस राज्य से हिमाचल प्रदेश राज्य को आबंटित कर्मचारियों की स्थिति में भूतपूर्व पंजाब राज्य से, एक वर्ष के कोर्स परिमाण पत्र/डिप्लोमा सहित, कृषि उप-निरीक्षकों में से जिनका (31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा सहित) पांच वर्ष का सेवाकाल हो और मैट्रिक या इसके समतुल्य हों।
टिप्पणी-1	प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी :-

(जारी पृष्ठ5 पर)

§क§ उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरग पद में अपने कुल सेवाकाल § '31-12-1983§ तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके § के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे। परन्तु उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि, जब कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

§ख§ इसी प्रकार: स्थायीकरग के सभी मामलों में ऐसे पद नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई, हो सेवाकाल के गगना में ली जाएगी: परन्तु स्थाईकरग के परिगामस्वरूप, तदर्थ सेवा की गगना में लेकर पारीवारिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।

§ग§ 31-12-1983 के पश्चात की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति / स्थाईकरग के प्रयोजन के लिए गगना में नहीं ली जाएगी।

<u>टिप्पग-2</u> जब कभी नियम 2, के अधीन पदों में बढ़ोतरी या कमी होती है, तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरोक्षित किए जाएगें।

12• यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना। जैसी कि सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

§जारी पृष्ठ 6 पर§

13• भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14• सीधी भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्य होना चाहिए : §क§ भारत का नागरिक, या §ख§ नेपाल की प्रजा, या §ग§ भूटान की प्रजा, या §घ§ तिब्बती शरणार्थी; जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो या §ङ•§ भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, यूगाण्डा, युनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया §पहले तंजानिया और जंजीवार§ जाम्बिया, मालवा, जेयर और इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है: परन्तु प्रवर्ग §ख§, §ग§, §घ§ और ङ• के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता, प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ठ किया जा सकेगा,

§जारी पृष्ठ7 पर§

किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही, दिया जाएगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन । सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर /पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग /अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

16. आरक्षण: उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों /पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

एस.कुमार/

(Authorised English text of the this Deptt. Notification No.Agr. A.3(2)84 dated ____, as required under Art.348(3) of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Agriculture.

No.Agr.A.3(2)/84 dated Shimla-171002, the

"Notification"

In exercise of the powers conferred by provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Biogas Supervisor(Class-III Non-Gazetted) in the Department of Agriculture H.P. as per Annexure-'A' attached to this notification , namoly:-

Short title , and commencement. (1) These Rules may be called "the Himachal Pradesh Agriculture Deptt., Biogas Supervisor(Clas-s-III Non-Gazetted), R&P Rules,1986.

(2) These Rules Shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra , Himachal Pradesh.

By Order,

(P.S.Rana)
Commissioner-Cum-Secretary(Agr)to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla.

No.Agr.A.3(2)/84 Dated Shimla-171002, the
Copy to :-

1. All Secretaries/Joint Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries to the Govt. of H.P.

2. All Heads of Department in H.P.

3. The Director of Agriculture,H.P.with 10 spare copies.

4. The Secretary,H.P.Public Service Commission,Shimla-2 with reference to his letter No.1-91/71-PSC dated 29th March, 1986 with three spare copies.

5. The Controller, Printing and Stationery,H.P.Shimla-5, for immediate publication in the Rajpatra,H.P.

6. Deputy Legal Remembrance to the Govt. of H.P.Shimla-2.

Sd/-
Under Secretary (Agr.)to the Govt. of Himachal Pradesh.

...

ANNEXURE-'A'

Recruitment & Promotion Rules for the post of Biogas Supervisor <u>in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh.</u>

1. Name of the post	Biogas Supervisor.
2. Number of posts:-	60(Sixty)
3. Classification:	Class-III(Executive)(Non-Gazetted).
4. Scale of pay:	Rs.570-15-600-20-700/25-850/30-1000-40-1080.
5. Whether selection post or non-selection post.	Non-selection.
6. Age for direct recruitment:-	Between 18 and 32 years. Privided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/Schedule Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the General or special order of the Himachal Pradesh Government: Provided further that the employees of all the public sector corporation and autonomous bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such Corporation/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not however, be admissible tosuch staff of the public sector corporation/-

Contd..2/-

	autonomous bodies who were/ are subsequently appointed by such corporation/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such Corporation/ autonomous bodies after insitial constitution of the public sector Corporation/autonomous bodies.
	Note:-I-Age limit for direct recruitment will be reckoned from the last date fixed for receipt of application by the Commission.
	Note-2: Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission, in case the candidate is, otherwise, well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	(a) Essential:- Matriculate or equivalent from a recognised University/Board with one years course/certificate/ Diploma from Vocational Agriculture School or Gram Sewak Training Centre. (b) Desirable qualifications: Knowledge of customs, manners and directs of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promptees.	Age N.A. Educational qualification:- As given against column No.11.
9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the compteent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion, failing which by direct recruitment.

Contd...3/-

11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotions/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst Agriculture Sub- Inspectors with atleast 5 years(including adhoc service rendered upto 31-12-1983) service in the grade and are Matric or equivlaent from a recognised University/Board with one years course/certificate/Diploma from Vocational Agriculture School or Gram Sewak Training Centre or from the orstwhile State of Punjab in case of employees allocated from that State to H.P. at the time of reorganisation on 31.10.1968.

Note-I:-In all cases of promotion adhoc service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:-

(a) That in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service including adhoc service rendered upto 31.12.1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the fiold of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and promotion Rules for the post whichever is less,

Provided further that where a person become ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) Junior to him, Shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Contd,,,4/-

(b) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered in the post upto 31.12.1983, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that the interre seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service shall remain unchanged.

(c) Adhoc Service rendered after 31.12.1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purpose.

Note-2:- Provision of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased or decreased.

12. If a Departmental Promotion Committee Exists, what is its composition — As may be constituted by the Govt. from time to time.

13. Circumstances under which the U.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. — As required under the Law.

14. Essential Recruitment for direct recruitment. — A candidate for appointment to any service or post must be:-

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or
(c) a subject of Bhutan , or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist January, 1962 with the intention of permently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Shri Lanka, East African countries or Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (Formerly Tanganyike and Tanzibar) Zamibia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Contd.-5/-

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or Interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority , as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the commission/other recruiting authority , as the case may be.

16. Reservation.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Backward Classes. Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

- o-